Form – 1 (FOR Linear Project) government of Uttarakhand Office of the district collecter Pithoragarh

No....

Date-

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

It is further certified that

- (b) The diversion of forest landfor facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have have been completed and the Gram Sabha have given thir consent to it...........
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dared.

Signature

District Collector
Pithoragarh

Pithoragarh

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कनालीछीना से ल्वांठी गांव तक मोटर मार्ग।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.62 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ0सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह0 /= जैनामिकारी

'पिथोरागढ़

राजीहाड हाजीहाड हाजीहाड हाजीहाड